न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड),भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

मूल वाद सं०–143/2014

नरेन्द्र सिंह आदि बनाम दिनेश कुमार आदि ।

13–11–2018

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी । वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । प्रतिवादीगण अनुपस्थित । प्रार्थी देवेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र 26 क 1 मय अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 सी०पी०सी० प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त वाद के वादी सं० 1 देवेन्द्र सिंह की दिनांक 18–01–2018 को दौरान मुकदमा मृत्यु हो गयी मृतक नरेन्द्र सिंह के पुत्रगण व पत्नी जीवित हैं । मृतक नरेन्द्र सिंह के पुत्र उदय प्रताप सिंह, देवेन्द्र सिंह , भानू प्रताप सिंह हैं जब कि पत्नी का नाम श्रीमती माया है मृतक नरेन्द्र सिंह ने प्रश्नगत प्लाट के बावत एक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 28–09–2017 को तहरीर कर दी थी । प्रश्नगत प्लाट में देवेन्द्र सिंह काबिज हैं उन्हें तनहा स्वामित्व है । अन्य वारिसानों का कोई वास्ता नहीं है इस कारण वसीयत के आधार पर मृतक वादी सं० 1 नरेन्द्र सिंह के स्थान पर देवेन्द्र सिंह को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है न ही नये वाद का सृजन होता है । प्रार्थी देवेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से वांछित संशोधन की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण से उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति मांगी गयी । प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र मृतक वादी सं० 1 नरेन्द्र सिंह के स्थान पर देवेन्द्र सिंह को पक्षकार बनाये जाने से सम्बन्धित है । उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती है । अतः प्रार्थना पत्र 26 क 1 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 26 क 1 स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन एक सप्ताह के अन्दर करे । पत्रावली दिनांक 13–12–2018 को अग्रिम आदेश हेतु पेश हो ।

सिविल जज (जू०डि०)

भोगनीपुर,कानुपर देहात ।

14–11–2018